संख्या-80/2021/1025/22-2-2020-17(748)/2017

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 28 मई, 2021***

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीकृष्ण मास्टर पुत्र श्री नन्हेंलाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे-5-दया0 बैठक-28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी श्रीकृष्ण मास्टर पुत्र श्री नन्हेंलाल, जो ग्राम-लखनपुर, थाना-कायमगंज, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बंदी की पुत्री परिवादी झब्बूलाल के पुत्र अमर सिंह के साथ भाग गयी थी, इसी को लेकर दिनांक 10/11.08.1991 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचा से गोली मारकर 05 पुरूष व 01 महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-17/1992 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, **ई0सी0** एक्ट/**अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद** के आदेश दिनांक 20.02.2001 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12.04.2002 द्वारा दोषमुक्त किया गया तथा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 03.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.02.2020 तक 11 वर्ष 05 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष 03 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, दोनो पक्षों के मध्य विवाद पूर्ण रूप से शान्त नहीं होने से कोई भी अप्रिय घटना घटित होने **के** दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति ने बन्दी श्रीकृष्ण मास्टर पुत्र श्री नन्हेंलाल द्वारा 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 05 पुरूष व 01 महिला की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किये जाने एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी श्रीकृष्ण मास्टर (बन्दी संख्या-25991) पुत्र श्री नन्हेंलाल, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-80/2021/1025(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in